

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अनगड़ा राँची।

नोटिस

नापी वाद सं०- 60/22-23

प्रेषित,

1. राजू महली, पिता- स्व० शिवनारायण महली, ग्राम- चतरा।
2. नवीन किशोर नायक, ग्राम- चतरा।
3. जलेश्वर लोहार, ग्राम- चतरा।
4. किशुन महतो, ग्राम- चतरा।
5. सोहराई महतो, ग्राम- चतरा।

इस नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा जानकारी दी जाती है कि भूमि सीमांकन के संबंध में एक याचिका/ प्रज्ञापन प्राप्त हुआ है। जिस पर यथास्थिति भूमि सीमांकन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है अथवा स्वप्रेरणा से भूमि सीमांकन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:-

## भूमि का विवरणी

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा
चतरा	134	325	44 डी०

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति- राजू महली, पिता- स्व० शिवनारायण महली, ग्राम- चतरा ने मौजा- चतरा खाता सं०- 134, प्लॉट सं०- 325 रकबा- 44 डी० भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त भूमि का दिनांक- 14/12/22 को सीमांकन करने हेतु तिथि निर्धारित किया जाता है।

अतः निर्धारित तिथि पर आपकी उपस्थिति आवश्यक है। यदि आप उक्त तिथि को अनुपस्थित रहते हैं तो सीमांकन कार्य आपकी अनुपस्थिति में सम्पन्न करा दी जाएगी।

६०८  
अंचल अधिकारी  
अनगड़ा राँची।

ज्ञापांक १०८(1) दिनांक 14/12/22

प्रतिलिपि:- श्री जगदीश उराँव, राजस्व-उप-निरीक्षक/ श्री रमेश रविदास, अंचल निरीक्षक/ श्री विलियम एक्का एवं श्री महाबीर महतो, अमीन अंचल कार्यालय, अनगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।



14/12/22  
अंचल अधिकारी  
अनगड़ा राँची।

14/12/22